न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–18/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. परमेश्वर सिंह आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. चांद कंवर आत्मजा श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत, पत्नि श्री फतेह सिंह राजपुत, निवासी समोडी हाल निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला शाहपुरा (राज)
3. किशन सिंह आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत,, निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज)
4. रणजीत सिंह आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत,, निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
5. शैल कंवर पत्नि श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत, निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
6. मनभर कंवर आत्मजा श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत, पत्नि श्री जगदीश सिंह राजपुत, निवासी समोडी हाल निवासी भीमडियास जिला भीलवाडा (राज)
7. सुशीला कंवर आत्मजा श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत, पत्नि श्री जय सिंह राठौड, निवासी समोडी हाल निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह आत्मज श्री मुल सिंह राजपुत,, निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)

–विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1.श्री राकेश जैन प्रार्थी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार

पार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक 25/3/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन द्वारा दिनांक 16.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 18/2024 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम समोड़ी, पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नम्बर 877 रकबा 1.4542 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक का 1/14 –1/14 हक हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 एक का 1/2 हक हिस्सा निहित है।

उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी, अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर उक्त वादग्रस्त आराजी शामलाती होने से इस भूमि में फसल काश्त करने, राजस्व लगान जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है और सह खातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है एवं लडाई–झगडे होते रहते हैं जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कराया जाकर प्रार्थी संख्या–1 लगायत 7 प्रत्येक का 1/14 –1/14 हक हिस्से एवं विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्से का खाता व लगान अलग–अलग कराया जाना आवश्यक है इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पृथक से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

25/3/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम समोड़ी की आराजी नम्बर 877 रकबा 1.4542 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–1 की शामलाती आराजी है एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–1 संयुक्त रूप से काबिज है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजी को विधिवत विभाजन कराये बिना खुर्द–बुर्द, अन्तरित करने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 1 बिना विधिवत् विभाजन कराये उक्त आराजी को विक्रय करने पर क्रेता जो कि अजनबी व्यक्ति होंगे, मौके पर आकर कब्जे बाबत् विवाद करेंगे तथा विपक्षी संख्या–1 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी से मेहरूम करने के दुराशय से प्रार्थीगण के उक्त वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग में भी व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। विपक्षी संख्या 1 बिना विभाजन कराये उक्त वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, अन्तरित व भारित कर देंगे व उक्त वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिससे विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत् विभाजन होने तक उक्त वादग्रस्त आराजी किसी भी माध्यम से किसी अन्य को खुर्द–बुर्द, अंतरित व भारित नहीं करें, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें व न ही करावें तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देव तथा किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा विपक्षी संख्या–02 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करें। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे उक्त वादग्रस्त आराजियात को खुर्द–बुर्द, अन्तरित कर देंगे तथा प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसका मुद्रा में आंकलन किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं अनेक वाद–विवाद बढ़ जायेगे।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम समोडी, पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 877 रकबा 1.4542 हेक्टेयर कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन होने तक उक्त वादग्रस्त आराजियात किसी भी माध्यम से किसी अन्य को खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करें, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें व न ही करावे तथा प्राथर्थीगण को उनके हक हिस्से का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें तथा किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा विपक्षी संख्या–02 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करें एवं मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस विधिवत तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब दिनांक 11.03.2025 को बन्द किय गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली का अंतिम निस्तारण करने हेतु निवेदन किय गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दौहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि ग्राम समोड़ी की आराजी संख्या 877 रकबा 1.4542 हैक्टयर भूमि के सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का 1/14 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने हेतु निरन्तर निवेदन किये जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 बंटवारा करवाने हेतु सहमत नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के विशिष्टीकृत भू–भाग का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। यदि अजनबी व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्टीकृत हिस्से का क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त करने का कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निरन्तर वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के अन्तरण नहीं करने, विशिष्टीकृत हिस्से पर कब्जा नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे। साथ ही वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में दखल/व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने हेतु निम्नाकिंत तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा सहखातेदार अपनी जोत का विभाजन कराने का हकदार है जिससे सहखातेदारों के मध्य लगान, भूमि के उन्नयन, कृषि सुधार, राजकीय योजनाओं के लाभ प्राप्त करने जैसे कार्यों हेतु अन्य खातेदारों पर निर्भर नहीं रहे तथा प्रार्थीगण इस उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 से निरन्तर निवेदन कर रहे हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के सहखातेदार होकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः बिन्दु संख्या 1 प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

2. सुविधा का संतुलन

3. अपूरणीय क्षति

उपरोक्त दोनों बिन्दुओ का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होकर प्रत्येक का 1/14 हिस्सा अर्थात् कुल 1/2 हक हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से में से कोई अंश किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया जाता है तो उससे वादग्रस्त भूमि में वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से बंटवारा करवाना चाहता है और यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी अजनबी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से में से किसी हिस्से का बेचान किया जाकर किसी विशिष्टीकृत भू–भाग पर काबिज करा भूमि सुपूर्द किये जाने का कार्य किया जाता है तो भी वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। चुंकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा का सहखातेदार है एवं भूमि का बंटवारा करवाना चाहते है और यदि अजनबी व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि में कोई स्वामित्व प्राप्त कर लिया जाता है तो वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण संभावना रहेगी। इस प्रकार प्रार्थीगण बिन्दु संख्या 2 सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में ग्राम समोड़ी की आराजी नम्बर 877 रकबा 1.4542 हैक्टयर की वादग्रस्त भूमि के संबंध में तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रथमदृष्टया साबित करने में सफल रहे हैं।

–:आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के अन्तरण एवं किसी विशिष्टीकृत भू–भाग पर कब्जा नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन बनाये रखने हेतु विरासत का नामान्तरण दर्ज किये जाने की हद तक उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/3/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा